अधिसूचना सं0 19/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. (अ.) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 67/95-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 में जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं0 259 (अ), तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ (2) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :-

"केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले सभी माल"

[फा.सं. 334/15/ 2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 67/95-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 259(अ) तारीख 16 मार्च, 1995 में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 16/2003-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 146(अ) तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।